



परिपत्र

विषय: खाली क्वार्टरों को आबंटित करने के लिए पात्र कर्मचारियों से सम्मति मांगने -
के संबंध में।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित क्वार्टर खाली हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पात्र कर्मचारियों से सम्मति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है जिनका नाम वर्ष 2024 के लिए आवास आबंटन की प्राथमिकता सूची में हैं और अन्य जिन्होंने प्राथमिकता सूची के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी नीचे उल्लिखित आवास आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अनुरोध है कि दिनांक 19.08.2024 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में अपनी सम्मति के साथ आवेदन को संपदा अनुभाग, जिपमेर में प्रस्तुत करें तथा किसी भी परिस्थिति में विलम्ब से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्रम सं.	खाली क्वार्टरों का प्रकार और संख्या	पात्र वेतन स्तर
1	टाइप-1/ सं. 9, 11, 15, 30 & 32	स्तर-1 (जो कर्मचारी स्तर-2 का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी एक टाइप नीचे के आधार पर अपनी सम्मति प्रस्तुत कर सकते हैं।)
2	टाइप-1/ सं. 14 & 35 टाइप-जी/ सं. 57 & 93	स्तर-2 से स्तर-5 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।

उक्त आवासों का आबंटन नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर आबंटित किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस/-

(वी. शिवबालन)

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

- सभी विभागों/अनुभागों/एककों/मुख्य नर्सिंग अधिकारी/नर्सिंग महाविद्यालय - कर्मचारी सदस्यों के बीच परिचालित करने के लिए।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष/उप निदेशक (प्रशासन) के निजी सचिव।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. विंग - जिपमेर वेबसाइट पर इसे अपलोड करने और सभी कर्मचारियों को ईमेल भेजने के लिए अनुरोध के साथ।
3. प्रभारी अधिकारी, हिन्दी सेल - उक्त को हिन्दी में अनुवाद करने और जिपमेर वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।